इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2023—पौष 29, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2023

अधि. क्र. 02- एफ 1-12-0001-2023-अठारह-2.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(4) (बी) (ii) के प्रावधानों के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन, दिनांक 05-08-2022 के ओ. एम. 13(2)-2021-ईजी-II के अनुसार सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम 2022 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम-05 अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के उद्देश्य से, आधार को उपयोग किये जाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित उद्देश्य के लिये अधिसूचित करता है :—

1. ई-नगरपालिका पोर्टल (www.mpenagarpalika.gov.in) पर उपलब्ध एवं बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आधार नामांकन आईडी पर्ची (EID) प्रस्तुत करने के अधीन दिया जाएगा.

2. नागरिकों को सरलता एवं सुगमता के साथ त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए, विभाग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु नागरिकों को आधार की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने हेतु जवाब देह होगा.

3. पोर्टल की जिन ऑनलाइन सेवाओं हेतु एक नागरिक को आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, वे इस प्रकार हैं :—

    1 संपत्ति पंजीकरण
    2 संपत्तिकर भुगतान
    3 नल कनेक्शन पंजीकरण
    4 ट्रेडिंग लाइसेंस आवेदन
    5 विवाह प्रमाण-पत्र पंजीकरण
    6 फायर एनओसी प्रमाण-पत्र आवेदन
    7 नो-ड्यूज सर्टिफिकेट

4. कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नहीं है या वह आधार संख्या जमा नहीं करना चाहता है, वह अपनी संपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि वह पहचान प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करे .—

   i. Permanent Account Number (PAN)
   ii. पासपोर्ट
   iii. वोटर आई कार्ड
   iv. ड्राइविंग लाइसेंस

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी, 2023

क्र. एफ 1-12-0001-2023-अठारह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02 एफ-1-12-0001-2023-अठारह-2 दिनांक 19 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.

Bhopal the 19th January 2023

Notification No.02-F 1-12-0001-2023-XVIII-2.—Aadhaar authentication for different services under the provisions of Section 4(4) (b) (ii) of the Aadhaar Act, 2016, In pursuance to the approval received from Ministry of Electronics and Information Technology, vide O.M. 13(2)/2021-EG-II dated 05-08-2022, under Rule 5 of Aadhaar Authentication for good governance (Social welfare, Innovation, Knowledge) the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance, hereby notifies the procedure for use of Aadhar for following purposes :

1. Any indivisual desirous of availing any online services mentioned in below point No. 3 and listed on e-NagarPalika portal (www.mpenagarpalika.gov.in) is required to undergo Aadhaar authentication on voluntarily basis; Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits of online services shall be given to such indivisual subject to the production of Aadhaar Enrolment ID slip.

2. In order to provide convenient and hassle free services to the citizen, the department shall make all the required arrngements for wide publicity through media and individual notices to make citizens aware of the requirements of Aadhaar for availing online services through portal.

3. The online services for which a citizen requires to undergo Aadhaar authentication are as follows:—

   1 Property Registration
   2 Property Tax Payment
   3 Water Connection Registration
   4 Trading License Application
   5 Marriage Certificate Registration
   6 Fire NOC Certificate Application
   7 No Dues Certificate

4. However, Any individual who did not possess Aadhaar or does not want to submit Aadhaar number, can register his/her property on the portal, subject to the submission for any one of following documents as identification proof—

   a. PAN
   b. Passport
   c. Voter ID Card
   d. Driving License

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHAL PANCHOLI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुदित तथा प्रकाशित—2023.